06.08.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित।
वकील अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने
हेतु बार-बार कई मौके दिये जाने
के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया
गया। जवाब प्रा.पत्र बंद किया जाता
है। बहस सुनी गयी। पत्रावली का
अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि
प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। प्रथमदृष्टया
मामला सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि
से प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसे में अप्रार्थीगण
को पाबंद किया जाता है कि मौजा
जोरावरपुरा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी
भूमि ख.नं. 1082/758 रकबा 43.1900
हैक्ट. में अतिक्रमण, निर्माण कार्य न तो
स्वयं करें न अन्य किसी से करावें।
प्रार्थी को काश्त करने में रुकावट पैदा
न करें। ऐसा कोई दस्तावेज संपादित न
करें जिससे प्रार्थी के स्वामित्व पर विपरित
प्रभाव पड़े। मूल वाद के निस्तारण तक
मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए
रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न
मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी